UPSP010062692026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी. 1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2498/2026

समद पुत्र अकबर, निवासी ग्राम दुमझेडा, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर ।
..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य ..... अभियोजन

मु.अ.सं.– 184/2026
धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–चिलकाना, जिला– सहारनपुर।

25–06–2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **समद** पुत्र अकबर द्वारा मु0अ0सं0–184/2026, धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ रानी पत्नी अकबर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अभियुक्त का कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 03.06.2026 को वादी उ0नि0 रोहताश कुमार बादस्तूर एक जरब पिस्टल नं0–18209194 मय 10 कारतूस मय हमराह कर्मचारीगण मय प्राइवेट वाहन के थाना हाजा से बहवाले रपट नं. 06 समय 05:14 बजे रवाना होकर अन्दर इलाका थाना क्षेत्र मे मामूर थे कि जब पुलिस वाले गश्त करते हुए कस्बा चिलकाना से होते हुए कच्चा पक्का दुमझेंडा से धौलाहेडी जाने वाले रास्ते पर पुलिया से करीब 50 मीटर आगे बायी तरफ जाने वाले चकरोड पर एक एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था मे खडा दिखाई दिया जो पुलिस वालो को देखकर शकपकाया और तेज कदमो से चकरोड पर अन्दर खेतो की तरफ चलने लगा। शक बदमाश होने पर पुलिस वालो ने गाडी से तेजी से उतरकर एक बारगी दबिश देकर घेर घोटकर भागने का मौका दिये बगैर, सिखलाये हुए तरीके से चकरोड पर करीब 40–45 कदम आगे इस व्यक्ति को पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए शकपकाकर तेज चलने का कारण पूछा तो इसने अपना नाम **समद** पुत्र अकबर निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर उम्र करीब 21 वर्ष ने बताया कि साहब मेरे पास चरस चरस है। पकडे गये व्यक्ति की जामा तलाशी हेतु वादी उ0नि0 द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के सी०यू०जी० नम्बर पर अपने मोबाइल से सम्पर्क करने का प्रयास किया लेकिन खेत व जंगल होने के कारण नेटवर्क ना मिलने से सम्पर्क नहीं हो सका तो इस व्यक्ति को इसके विधिक अधिकारो से अवगत कराते हुए बताया कि तुम अपने पास नशीला पदार्थ चरस होना बता रहे हो तो तुम्हे अपनी जामातलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवाने का अधिकार है है तुम हमारे साथ चलकर अपनी जामा तलाशी राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष लिवा सकते हो तो इस व्यक्ति ने कहा कि साहब जब आप लोगो ने मुझे पकड़ ही लिया है और मैने भी आपको सब सही सही बता दिया है कि मेरे पास चरस है तो मैं किसी बडे अधिकारी को नही बुलाना चाहता

हूँ ना ही जाना चाहता हूँ। आप ही मेरी जामा तलाशी ले सकते है इस पर वादी उ0नि0 द्वारा अपनी विवेचना किट से धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस मौके पर तैयार कर धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की शर्तों का पालन करते हुए धारा 50 एनडीपीएस के नोटिस पर पकडे गये व्यक्ति को पढकर सुनाकर उसके अलामात बनवाये गये तथा पकडे गये व्यक्ति की जामातलाशी हमराही कर्मचारीगण से लिवाई गयी तो पकडे गये व्यक्ति ने पहने हल्की नीली जीन्स की पेन्ट की दाहिनी जेब से एक काली पन्नी निकालकर दी जिसके अन्दर काले रंग का पदार्थ बरामद हुआ। जिसे पकडे गये व्यक्ति ने भी बताया कि साहब यह चरस है। बरामद नशीले पदार्थ को खुद देखा सुंघा व हमराहीयान को दिखाया व सुंघाया गया तो नशीले पदार्थ **चरस** जैसी गन्ध आ रही है। इस बरामदा नशीले पदार्थ को अपनी विवेचना किट से इलेक्ट्रोनिक काँटा निकालकर पन्नी सहित नशीले पदार्थ को निकालकर तोला गया तो बरामद नशीले पदार्थ चरस का कुल वजन **197 ग्राम** है। पकडे गये व्यक्ति से बरामद चरस रखने का लाइसेन्स तलब किया तो दिखाने मे कासिर रहा। अभियुक्त समद पुत्र अकबर उपरोक्त को उसके जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से अवगत कराते हुए व गिरफ्तारी के आधार व कारण से अवगत कराते हुए समय करीब 06.49 बजे जायज पुलिस हिरासत में लिया गया। उक्त आधार पर अभियुक्त समद के विरुद्ध धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को वाद उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है, प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को गांव की पार्टीबाजी के आधार पर झूठा रंजिशन फंसाया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 व 55 की कोई कम्पलायंस नहीं की है। प्रार्थी से पुलिस ने 197 ग्राम चरस बरामद होना दिखाया है, जो कि फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है। पुलिस द्वारा कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी का झूठा सहमति पत्र थाने पर बैठकर तैयार किया है। प्रार्थी दिनांक 03.06.2026 से जिला कारागार सहारनपुर में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त समद को पुलिस कर्मियों द्वारा मौके से पकड़े जाने पर जामातलाशी में उसके कब्जे से 197 ग्राम अवैध चरस की बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्रदान किये जाने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त **समद** को मौके से पकड़े पर जामातलाशी में उसके कब्जे से **197 ग्राम** अवैध **चरस** बरामद होना अभिकथित है। उपरोक्त बरामद चरस के विषय में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

नोटिफिकेशन में क्र. सं.	पदार्थ का नाम	अल्पमात्रा	वाणिज्यिक मात्रा	अभियुक्त से बरामद
23	चरस	100 ग्राम	1000 ग्राम	197 ग्राम

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद चरस की मात्रा अल्पमात्रा से थोड़ी अधिक है, किन्तु वाणिज्यिक श्रेणी से काफी कम है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कथित गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनाँक 03.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के

तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **समद** पुत्र अकबर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–184/2026, अन्तर्गत धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/– (पचास हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये, कि–

(1) अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा और बिना किसी कारण कोई स्थगन नहीं देगा और गवाह आने पर प्रत्येक स्थिति में गवाह से प्रतिपरीक्षा करेगा,

(2) अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा, और

(3) अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 25–06–2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.06.25 15:54:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur